

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-01/श्रम न्याय-01/2024 श्र०सं०...../बिहार कोषागार संहिता के नियम 84 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री राकेश कुमार-VI, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, मुजफ्फरपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित/घोषित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(उपेन्द्र प्रसाद)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापक-01/श्रम न्याय-01/2024.....19...../श्र०सं० पटना-01, दिनांक-16/07/2024

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/पीठासीन पदाधिकारी सभी औद्योगिक न्यायाधिकरण/पीठासीन पदाधिकारी सभी श्रम न्यायालय, बिहार/संबंधित पदाधिकारी/आई०टी० प्रबंधक (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/07/2026

सरकार के विशेष सचिव